न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2466–दो/2015, विरूद्ध आदेश दिनांक 08–05–2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर जिला–उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 23/अपील/2014–2015

.....

1– ओमप्रकाश पिता रतनलाल जी
2– प्रेमचन्द पिता रतनलाल जी
3– शांतीलाल पिता बिहारीलाल जी
4– जगदीश पिता बिहारीलाल जी
निवासीगण व कृषक ग्राम जलोदिया,
तहसील–बड़नगर, जिला–उज्जैन(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1– धापूबाई पति स्व0 रमेश जी
2– रामकिशन पिता स्व0 रमेश जी
3– राजेश पिता स्व0 रमेश जी
4– सुशील पिता स्व0 रमेश जी
निवासीगण–ग्राम जलोदिया
तहसील–बड़नगर, जिला–उज्जैन (म0प्र0)
5– प्रेमाबाई पुत्री स्व0 रमेश जी पति रामचन्द्र जी
6– सुशीलाबाई पुत्री स्व0 रमेश जी पति प्रहलाद जी
निवासीगण–ग्राम फतेहपुर, तहसील–बड़नगर
जिला–उज्जैन (म0प्र0)
7– ताराबाई पुत्री स्व0 रमेश जी पति सुशील जी
निवासी–व्यास घाटी, सीतामउ, जिला–मंदसौर

..... अनावेदकगण

.....

श्री आशीष वैध, अभिभाषक, आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 09 सितम्बर 2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर

जिला–उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसीलदार बडनगर के प्रकरण कमांक 121/अ–27/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24–6–2013 के विरूद्ध आवेदकगण ने प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि में अन्य सहकृषकों को सहखातेदार होने एवं आवश्यक पक्षकार मानते हुये सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिये। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी ने खसरे के अतिरिक्त उल्लेखित अन्य सहकृषक जिनका वादग्रस्त प्रकरण में कोई हित नहीं है, समस्त भूमिस्वामी को पक्षकार बनाने का आदेश देने में वैधानिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाये।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश पत्रिका एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष ग्राम जलोदिया तहसील बडनगर में संयुक्त खाते भूमि कुल रकबा 27.98 हे0 के विभाजन के संबंध में प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें तहसीलदार ने आदेश दिनांक 24–6–13 को आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुई है। संयुक्त खाते की भूमि के विभाजन में सभी सहखातेदारों हितबद्ध पक्षकार होते हैं इसी आधार पर अनुविभागीय अधिकारी सभी खहखातेदारों को आवश्यक पक्षकार मानकर सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर